प्रभारी अधिकारी
ग्रंथालय अनुभाग
मण्डला

कार्यालय प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला म0प्र0

ज्ञानक्र. 52/24 **//निविदा आमंत्रण सूचना//** मण्डला दिनांक 27/05/24

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला मे वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु लेखन सामग्री के कय बाबत् सीलबंद निविदाये आमंत्रित जाती है।

निविदाये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला के नाम से प्रस्तुत की जावेगी निविदा की शर्ते एवं सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय मण्डला की वेबसाइट Mandla.dcourts.gov.in. पर भी उपलब्ध है जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्ते डाउनलोड की जा सकती है।

इच्छुक व्यापारी/विकता/निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद कर पूर्ण जानकारी सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय मण्डला में दिनांक 28.06.2024 को सायंकाल 5:00 बजे तक आवक जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 29.06. 2024 को दोपहर 2:00 बजे निविदा समिति के समक्ष निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।

प्रभारी अधिकारी
ग्रंथालय अुनविभाग
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मण्डला (म0प्र0) 27/5/24

प्रभारी अधिकारी
ग्रंथालय अनुभाग
मण्डला

जावक क्रं. 52/24/लाइब्रेरी

मण्डला दिनांक 27/5/24

परिशिष्ट–बी
तकनीकी विड में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

कमांक	दस्तावेजो का विवरण	रिमार्क
1	वित्तीय, तकनीकी विड एवं ई.एम.डी के अलग अलग लिफाफे	
2	ई.एम.डी की राशि	
3	पेन नं0	
4	आयकर विवरण	
5	नगद जमा की रसीद/डी.डी.राशि 250/–	

प्रभारी अधिकारी
ग्रंथालय अनुभाग
मण्डला

कार्यालय प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश मण्डला (म0प्र0)

जावक क्रं. 51/24 मण्डला दि. 27/5/24

::निविदा शर्ते::

1– सील बंद निविदाये जिला न्यायाधीश मण्डला के नाम से दिनांक 28.06.2024 को सायंकाल 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए उक्त निविदा दिनांक 29.06.2024 को दोपहर 2:00 बजे निविदा कर्ता के समक्ष जिला न्यायालय में गठित निविदा समिति कय समिति द्वारा खोली जाएंगी।

2– जिस सामग्री के संबंध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसका नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट रूप से लिखा जावें।

3– नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाऐगा।

4– आदेश अनुसार साम्रगी न्यायालय तक पहुंचाए जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

5– प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश मण्डला को यह अधिकार होगा कि निविदा खोलते समय यदि किसी सामगी की दर अन्य निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है तो ऐसी स्थिति दरों के आधार पर एक से अधिक निविदा कर्ताओ से पृथक पृथक अनुबंध किया जा सकता है एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को निरस्त कर सकते हैं।

6– निविदा में प्रत्येक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित है सामग्री का साइज,नाप,तौल आदि निविदा में अंकित करना अनिवार्य हैं।

7– निविदा एंव निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजो में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक हैं।

8– निविदाकार द्वारा दी गई सूची की सामग्री आवश्यकता अनुसार स्वीकृत दर एंव मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होगा।

9– प्रदाय की गई कोई भी सामग्री कंपनी की न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की दशा पर होने पर ऐसी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर वापिस उठाना होगा तथा कंपनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

10– निविदा में प्रत्येक सामग्री का स्पष्ट विविरण होना चाहिए एंव प्रत्येक सामग्री का सेंपल होना चाहिए जो सेंपल प्रस्तुत नही करेगा। उसकी निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

11– निविदा से संबंधित शर्ते एंव प्रदाय की जाने वाली समान की सूची उच्च न्यायालय जबलपुर कीवेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय मण्डला की वेबसाइट Mandla.dcourts.gov.in.से डाउनलोड किया जा सकता हैं।

12– निविदा आवेदन पत्र मय शर्तो एंव सामग्री सूची तथा राशि 250–/ दो सौ

पचास डीडी/ऑनलाइन के माध्यम से शासन का हेड 0070–01 –800–0000 में जमा कर चालान का मूल प्रति प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश मण्डला के नाम से प्रस्तुत की जायेगी तथा राशि 250–/किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।

13– सामग्री का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि में प्रदाय करनी होगी।

14– निविदा की दरें अनुबंध दिनांक से मार्च 2025 तक मान्य होगी एंव अनुबंध आपसी समझौते पर और विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन अनुमोदित दरो पर अगामी एक ओर वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता हैं।

15– निविदाकार, वाणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया उस पर कोइ कर बकाया नही हैं। स्पष्ट करें।

16– लेखन सामग्री की सूची के अनुसार जिन सामग्री के निर्माता कंपनीयो के नाम अंकित है केवल उन्ही कंपनी सामग्री की दर देवें। अन्यथा मान्य नही होगीं।

17– निविदाकारों को सुरक्षानिधि के रूप में 21,000/– रूपये (इक्कीस हजार रूपये) की ईएमडी,एफडीआर के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी जो कि 31 मार्च 2025 तक वैध होगी। एफडीआर के अतिरिक्त कोई भी ईएमडी जमा करने पर निविदाकारों की निविदा निरस्त की जा सकती हैं।

18– सभी लेखन सामग्री के ब्रॉन्डेंड/नॉन ब्रॉन्डेंड की नमूनें निविदा खोले जाते समय निविदा समिति द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

19– किसी भी शर्ते के भंग होने पर प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जाएगी।

20– शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचार नही किया जाएगा साथ ही जीएसटी की राशि भुगतान का दायित्व निविदाकर्ता का होगा।

21– सम्पूर्ण सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जाए।

22– वित्तीय/तकनीकी लिफाफे निविदाकर्ता पृथक–पृथक। वित्तीय तकनीकी एंव ईएमडी की राशि वाले लिफाफे तैयार कर उन पर वित्तीय तकनीकी बिड, ईएमडी लेख करते हुए उक्त तीनो लिफाफे को चौथे लिफाफें मे मुहरबंद कर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

23– निविदा खोले जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी बिड एवं ईएमडी की राशि के लिफाफे खोले जाएंगें जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी बिड से संबंधित चाहे गये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जायेगे उन निविदाकर्ता की निविदा पर वित्तीय बिड के संबंध मे कोई विचार नही किया जायेंगा। तकनीकी बिड में

सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय पेड के लिफाफें खोले जायेगें।

24— निविदा द्वारा सामग्री की जो भी दरे दी गई है वह एक वर्ष के लिए यथावत रहेंगी निविदाकारों द्वारा किसी भी वस्तु की दरें बढ़ाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नही किया जावेंगा।

25— निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु ग्रंथपाल,ग्रंथालय अनुविभाग मण्डला में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता हैं।

26— निविदाकर्ता अपनी रेटलिस्ट के साथ परिशिष्ट ए स्टेशनरी एवं लेखन सामग्री में वर्णित सूची अनुसार सभी सामग्री की ब्राण्डेंड नमूने आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रभारी अधिकारी
ग्रंथालय अुनविभाग
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मण्डला (म0प्र0) 27/5/24

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पताः—

//ग्रंथालय अनुभाग//   वर्ष–2024–25

क्रमांक	लेखन सामग्री एवं उसकी निर्माता संस्था का नाम	कंपनी का नाम	जीएसटी प्रतिशत	राशि जीएसटी सहित
1	फोटोकापी पेपर जे.के. जी.एस.एम. ए–4			
2	फोटोकापी पेपर एफ.एस. 75–जी.एस.एम.			
3	टेग 8 इंच			
4	लेस 18 इंच			
5	कार्बन सिल्वर ब्लैक			
6	फाईल पैड मौटा			
7	टाईपिंग पेपर 8.5x13.5			
8	पेपर पिन राउण्ड			
9	गोंद 150 एम.एल. केमल			
10	स्टेपलर बड़े			
11	स्टेपलर छोटे			
12	स्टेनो कापी			
13	व्हाईटनर			
14	स्टेनो पेंसिल अप्सरा गोल्ड			
15	स्टेपलर पिन छोटे 10x10			
16	स्टेपलर पिन बडे			
17	केल्यूक्लेटर बडा			
18	लाल पेन			
19	नीला पेन			
20	पिन कुशन			
21	पेन स्टेण्ड			

22	चपडा पेकिट			
23	सेलो टेप 1 इंची सफेद			
24	स्टाम्प पैड छोटे केमल			
25	स्टाम्प पैड इंक शीशी			
26	जजमेंट लेजर पेपर 90 जी.एस.एम.			
27	मोमबत्ती बड़ी			
28	फलेग			
29	सूजा मीडियम			
30	स्टाम्प पेड बडे केमल			
31	रजिस्टर हवा महल 192			
32	हाजिरी रजिस्टर			
33	कैंची			
34	स्पंज प्याली			
35	सेलोटेप 3 इंच			
36	लाल नीली पेंसिल			
37	लिफाफा एफ.एस. साइज			
38	लिफाफा ए–4			
39	लिफाफा छोटे			
40	लॉग बुक			
41	कार्बन नीला			
42	पेपर बेट			
43	स्केल बड़ा			
44	कम्प्यूटर पेपर 10x15 फस्ट			
45	कम्प्यूटर पेपर कार्बन सहित 10x12 सेकेण्ड			
46	पंचिक मशीन			
47	फाईल कवर लीगल साईज			

48	टाईटल पेज बड़े			
49	टायटल पेज छोटे			
50	स्केल बड़ा प्लास्टिक			

प्रभारी अधिकारी
ग्रंथालय अुनविभाग
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मण्डला (म0प्र0) 27/5/24

कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला(म0प्र0)

इच्छुक स्टेशनरी विक्रेता कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला के कार्यालयीन समय में निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर **दिनांक 28.06.2024 सायंकाल 5:00 बजे** तक बंद लिफाफे में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम आवक जावक अनुभाग में निविदा (कोटेशन) मय केटलॉग सहित तथा जीएसटी का पृथक से उल्लेख करते हुए प्रस्तुत कर सकते है निर्धारित दिनांक एंव समय के पश्चात् निविदाओं/कोटेशनों पर विचार नही किया जावेगा।

//निविदा आवेदन–पत्र//

1	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का नाम एंव पता	
2	दूरभाष नं./मोबाइल नं.	
3	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था के मालिक का नाम	
4	विकता/व्यापारी/निर्माता संस्था का पंजी/जीएसटी कंमाक	
5	क्या विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था मण्डला की अधिकृत संस्था हैं? यदि हां तो विवरण दें।	
6	यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था हो तो प्रमाण पत्र की छायापति संलग्न करें।	
7	क्या शासन ने विकता/व्यापारी/निर्माता संस्था को सामग्री प्रदान किए जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया ह? यदि हां तो विवरण दें।	
8	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का बैंक का नाम/खाता कमांक मय आईएफएससी कोड	

	सहित	
9	वित्तीय प्रस्ताव**(प्रारूप ए भरकर संलग्न करें।)**	

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप ए

क्रमांक	स्टेशनरी सामग्री का विवरण	प्रति नग राशि	जीएसटी प्रतिशत	प्रति नग कुल राशि(मय जीएसटी)	शुद्ध राशि